भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/02/2017/एफ.सी./45 दिनॉक: 16.04.2019

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इण्डस्ट्रियल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

FCA
24.4.019

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/9317/2015

विषय: थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी0 सड़क के किमी0 14/500 से 24/800 तक के अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक–एफ14()/2015/डूंगरपुर रोड्स/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/815, दिनांक–15.03.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में दिनांक–22.03.2017 में सैद्धान्तिक स्वीकृति मॉगी गयी थी। जिसकी अनुपलाना आख्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी0 सड़क के किमी0 14/500 से 24/800 तक के अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1414 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.

3. Compensatory afforestation

a) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.528 ha non-forest / (Compartment /Khasra No.Nil Village-Balwara, Tehsil-Dungarpur, District- Dungarpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

b) The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 may report compliance within a period of six (6) months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, to this Office for information and record;

4. User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

5. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

16/4/19

Scanned with CamScanner

6. **User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.**

7. **Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.**

8. **The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.**

9. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

11. No labour camp shall be established on the forest land.

12. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

14. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

15. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

16. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

17. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

18. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीय,

16/4

(बृजेन्द्र स्वरूप)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति0 वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, डुंगरपुर राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विकास खण्ड, डूंगरपुर, राजस्थान।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Scanned with CamScanner

0/c

15°

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14( )2015/डूंगरपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 920 दिनांकः 16.2.18

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र)
पंचम तल, केन्द्रीयभवन, सेक्टर–एच,
अलीगंज, लखनऊ –226024 (उ0प्र0)

विषयः–थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक किमी. 14/500 से 24/800 तक सड़क के अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल नं. FP/RJ/ROAD/9317/2015)

संदर्भः–आपके कार्यालय का पत्र सं. 8 बी/राज/06/02/2017/एफसी/584 दिनांक 22.03.17 P.79/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तो की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर ने अपने पत्रांक 9369 दिनांक 26.12.17 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ लगायी गयी शर्ते	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 12.528 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/ संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 12.528 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1941840/– (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए) केम्पा, नई दिल्ली में जमा करवा दी गई है। दि. 4.1.18 को जमा राशि की ऑनलाईन प्रति संलग्न है। समतुल्य गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण हो चुका है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007– एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात सीए, एनपीवी हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007– एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि रूपये 10059984/– केम्पा, नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। ऑनलाईन ई–रसीद की प्रति एवं 12 कॉलम का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।

E/: Office documents /a

PTO

	स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
5.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर कमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के व्यय पर किया जावेगा। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल वनभूमि से बाहर किया जायेगा। मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर योजना संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16. 11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः उक्त प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उक्तानुसार ।

भवदीय,

(ए.के. सिंह)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय-01412713759, मो न 9414059146

कमांकः एफ14( )2015/डूंगरपुर रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 921-23 दिनांकः 16.2.18

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर ।
3. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड—डूंगरपुर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

I

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा ( )वसु/मुवसं/16–17/9369 दिनांक :– 26.12.17

निमित्,

687
28.12.17

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी, एफसीए.
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– थाना मेवाडा सडक निर्माण हेतु 12.528 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।(आॅन लाईन प्रप्रोजल सं0 PF/RJ/ROAD/9317/2015)

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक एफ14 ( ) 2015/डूंगरपुर रोड्स/एफसीए / प्रमुवसं/963–64 दिनांक 31.03. 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्र क्रमांक 8 बी/राज/06/ 02/2017/एफसी/584 दिनांक 22.03.2017 से थाना मेवाडा सडक निर्माण हेतु 12.528 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, डूंगरपुर के पत्र सं. एफ/वसु/उवसं / 2017–18/ 9054 दिनांक 21.12.2017 से प्राप्त हुई है एंव इसके अतिरिक्त मक डिस्पोजल हेतु ऐजेन्सी द्वारा लिखा गया पत्र सं0 8139 दिनांक 26.12.2017 प्राप्त हुआ है जो मूल ही इस कार्यालय की सहमति के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अक्षय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा/ दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– उप वन संरक्षक, डूंगरपुर।

2– अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, डूंगरपुर ।

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक , डूँगरपुर(राज0)

उदयपुर रोड डूँगरपुर फोन नम्बर 02964—230841

15/97

दिनांक:— 21/12/17

कमांक/वसु/उवस/2017—18/ 9054

निमित्

मुख्य वन संरक्षक

उदयपुर

विषयः— थाना मेवाडा हिम्मतपुर से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 कि.मी.से 32.00 कि.मी.सडक के कि.मी. 14/500 से 24/800 मी तक के अपग्रेडेशन हेतु 12.528 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।

प्रसंगः— प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य)के पत्र सख्या 8—बी/रा/06/02/2017/एफसी/584 दिनांक 22—3—2017 के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि थाना मेवाडा हिम्मतपुर से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 कि.मी.से 32.00 कि.मी. सडक के कि.मी.14/500 से 24/800 तक के अपगेडेशन एवं चौडीकरण हेतु 12.528 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन की (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या एफसी/राज/रोड/9317 /2015) शर्तोधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है । सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पालना कर यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूँगरपुर द्वारा उनके पत्र संख्या 7933 दिनांक 14—12—2017 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है । सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सख्या 1 से 8 तक की विधिवत पालना कर दी गई है । पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र मे निम्नानुसार है ।

शर्त संख्या—1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया गया है ।

शर्त संख्या—2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 12.528 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रचलित दरो को समाहित करते हुए कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गई है । वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण हो चुका है ।

शर्त संख्या—3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सीविल)202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3 /2007 एफ.सी.दिनांक 5—2—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है ।

शर्त संख्या—4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एनपीवी की धन राशि की बढोतरी होती है तो जमा कराने का वचनबद्वता प्रमाण—पत्र सलग्न है ।

शर्त संख्या— 5 विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीना स्तम्भों द्वारा सीमांकन सार्वजनिक निमार्ण विभाग के व्यय पर किया जावेगा । वचनबद्वता प्रमाण—पत्र सलग्न है ।

शर्त संख्या— 6 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय स्वीकृत कराकर योजना सलग्न है ।

शर्त संख्या —7 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से सडक के दोनो तरफ वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की निगरानी में किया जावेगा वचनबद्वता प्रमाण—पत्र सलग्न है ।

शर्त संख्या—8 सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देश का पालन करेंगी ।

अतः थाना मेवाडा हिम्मतपुर से गुजरात राज्य की सीमा तक सडक निर्माण की अन्तिम स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा की जाती है ।

सलग्नः— अधिरोपित शर्तो की पालना रिपोर्ट

दो प्रतियों में।

भवदीय,

(डा.एस.सारथ बाबू)

उप वन संरक्षक

डूँगरपुर

कमांक/वसु/उवस/2017—18/ दिनांकः—

प्रतिलिपी —अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम डूँगरपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप वन संरक्षक

डूँगरपुर

D:\O.A-ROA-Letters_09.Doc

Scanned with CamScanner

# of Forest and Wildlife Clearance Proposals

:: Logout

[Role : Nodal Officer]
[State : Rajasthan]

Change

District Collector — Configuration — Add Proposal — Update Proposals Received Upto 31-12-2011 — Miscellaneous — Downloads —
Upload/Publish Documents — Others — Processing of Proposals received on or after 15 July 2014 —

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area. NPV : Net Present Value;

- Not Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 — All Proposals received upto 14th July 2014

Online Help/Query

Select Region : Lucknow — Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : Paid Unpaid All

Bank Name : --Select All--

Transaction Date (From) : — Transaction Date (To) :

Enter value for Search : Please Enter Proposal No.,Application No.,Proposal Name,Agency I

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	RJ/ROAD/9317/2015 Upgradation of Thana Mewara Road 0.00km to 3.00 km PWD DUNGARPUR,RAJASTHAN	ROAD93172015995	22 Mar 2017	CA: 1941840/- ; PCA: 0/- ; Safety Zone: 0/- ; NPV: 10059984/- ; Total : 12001824/- ; Addl CA : 0/- ; CAT : 0/- ; Addl PA : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 04 Sep 2017; Bank Name : Corporation Bank; Mode of Payment : Corporation Bank (Challan); Challan Generated On : 20 Sep 2017; Transaction Date : 15 Nov 2017	Demand Letter; Generated Challan

Scanned with CamScanner

20/2017

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 20-09-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DN DUNGARPUR
PIF/Application No.	11393172015995
Address.	PWD Division Dungarpur Dungarpur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	xenpwddpr@yahoo.in 9414163019 2964-231414
Amount(in Rs)	12001824/-.
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: One Crore Twenty Lakh One Thousand Eight Hundred and Twenty-Four Rupees Only

अधिशाषी अभियन्ता

Depositor Signature

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 20-09-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DN DUNGARPUR
PIF/Application No.	11393172015995
Address.	PWD Division DungarpurDungarpur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	xenpwddpr@yahoo.in 9414163019 2964-231414
Amount(in Rs)	12001824/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words :One Crore Twenty Lakh One Thousand Eight Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 20-09-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DN DUNGARPUR
PIF/Application No.	11393172015995
Address.	PWD Division DungarpurDungarpur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	xenpwddpr@yahoo.in 9414163019 2964-231414
Amount(in Rs)	12001824/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words : One Crore Twenty Lakh One Thousand Eight Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

जमा का विवरण

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव - 19,41,840-
2. एन.पी.वी. की निर्धारित राशि —— 1,00,59,984-

योग - 1,20,01,824-

Executive Engineer
P.W.D. Division, Dungarpur

176

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर(राज.)

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/9317/2015

बिन्दु संख्या	उल्लेखित शर्त	परिपालन
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 12.528 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 12.528 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राशि का केम्पा फंड दिल्ली में जमा कर दी गई है। दर 155000/– प्रति हेक्टर से राशि रू. 1941840/– जमा करा दिये है। चालान की प्रति संलग्न है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/2015–16/191–95 दिनांक 13.01.2015 एवं राजस्व/भू.आंव/2015–16/1464–68 दिनांक 02.03.2015 द्वारा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा जाएगी। इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सेद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही विधिवृत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	सार्वजनिक निर्माण विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/195 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा फंड नई दिल्ली में जमा कर दी गई है। दर 803000/– प्रति हेक्टर से राशि रू. 10059984/– जमा करा दिये है। चालान की प्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की धनराशि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगा। (वचनबद्धता पत्र संलग्न है।)
5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा। जिसमे प्रत्येक पीलर पर क्रतांक डी.जी.पीएस निर्देशंक Backword and Forword bearing एव अपने निकटवर्ती पीलरो से दूरी दर्शायी जाएगी।	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकंन सार्वजनिक निर्माण विभाग के व्यय पर कर दिया जायेगा। (वचनबद्धता प्रत्र संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (मक डिस्पोजल योजना संलग्न है)

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या	उल्लेखित शर्तें	परिपालन
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे के आई.आर.सी. के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वंय के व्यय से सडक दानो तरफ वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की निगरानी में कर दिया जायेगा। (वचनबद्धता पत्र संलग्न है)
8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

बिन्दु संख्या 1 से 8 की परिपालन आख्या प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि के उपयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं एवं सभी शर्तो की परिपूर्ण एवं बिंदुवार परिपालना प्रस्तुत कर परियोजना कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति कराने का श्रम करावें।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड डूंगरपुर

158

Scanned with CamScanner

प्रपत्र सं. पी 26 (N)
(देखिये नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

ग्राम बलवाड़ा पटवार क्षेत्र बलवाड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थाणा

तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान सम्वत् 20.71. से 20.72 तक

भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्त्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: रकम	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरणों के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
राज० सरकार	बिलानाम पहाड़िया एवं पर्वत	3133	277.07	मगरी	—	—	—	ना० सं० 3015 30/6/15 से आदेशानुसार रकबा 277.05 में से 51.09 (0.32हे०) भूमि वन विभाग के नाम दर्ज। ख० नं० 3133 रकबा 51.09 (0.32हे०)						
	नकल राजहित में जारी की। "सत्य प्रति" असल से नकल की। PBSNo 108 9/09/2016							ना० सं० 4041 9-09-2016 से आदेशानुसार रकबा 225.18 में से 26.06 (4.208हे०) भूमि वन विभाग के नाम दर्ज। ख० नं० 3133/2 रकबा 26.06 (4.208हे०)						

फोन : 2632154

Code : J-101

102/160

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर (राज.)

क्रमांकः–   दिनांकः–

–: वचनबद्धता :–

थाना मेवाडा हिम्मतपुर से गुजरात राज्य की सीमा तक किमी. 14/500 से 24/800 तक सडक अपग्रेडेशन एवं चौडाईकरण में वनभूमि की यदि सक्षम स्तर से एन.पी.वी. राशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई राशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(रोशनलाल खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि. खण्ड डूंगरपुर (राज.)

उप वन संरक्षक
डूंगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

103
161

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर (राज.)

क्रमांकः– दिनांकः–

–: वचनबद्धता :–

विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रतांक डी.जी.पीएस निर्देशंक Backword and Forword bearing एव अपने निकटवर्ती पीलरो से दूरी दर्शायी दी जायेगी।

(रोशनलाल खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि. खण्ड डूंगरपुर (राज.)

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

WASTE DISPOSAL PLAN

Certificate

This is to Certify that the Proposed Alignment of (Strengthening & Widening of Dungarpur Bichhiwara Road (ODR) KM 0/0 to 5/0 and Thana to Mewara Road (ODR-1) KM 0/0 to 32/0 Up to Gujrat State Border The Laning Section of the Project road at Locations Km. 14/500 to 24/800 is Passing Through Hill Section Which requires cut and fill . The cut material will be utilized for filling Section. Any Excess cut Material will be transported to km. 18/150 to 23/700 part of project Road Stretches which requires only fill Section.

Date :- 13.12.2017

Place :- Dungarpur

(Roshan Lal Khatik)
Executive Engineer
PWD Dn. Dungarpur

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

MUCK DISPOSAL/MANAGEMENT PLAN FOR Upgradation Strengthening & Widening Work of Thana Mewara (Himmatpur) upto Gujrat State Border km. 14/500 to 24/800 PWD DN. DUNGARPUR

Muck disposal plan prepared as following:-

1- **Calculation of muck to generated including swell factor** Total muck generated during construction of road=89585.94 cum
2- **Quantity of muck to be utilized in the project activities** As per attached sheet= 89585.94 Cum
3- **Balance quantity of muck which required for disposal/management plan (89585.94-89585.94) cum** = Nil
4- **Carriage of muck from the muck generation site to dumping site** Muck will be carry by contractor as their own cost as per bond condition (N/A)
5- **Ownership of land the consent of land owner**

   N/A

6- **Development of dumping site construction of retaining walls and other structure**

   N/A Dumping yard is in Non Forest land.

7- **Rehabilitation of dumping site like leveling planting of grass shrub and tree species**
8- N/A

   Cost of Dumping site N/A

   Undertaken as per following by User agency (PWD Dungarpur)

1- Muck management plan will be implemented ny PWD Dungarpur In Case non implementation of plan we eill be liable to penalty/ action.
2- The proposed dumping site is located away from river/ stream/nala.

सहायक अभियन्ता

Executive Engineer
P. W. D. Division, Dungarpur

डूंगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

706/
164/

Annexure-I

NAME OF WORK :- Upgradation Strengthening & Widening Work of Thana Mewara (Himmatpur) upto Gujrat State Border km. 14/500 to 24/800.

S. No.	Particulars	Quantity	Unit
1	Total material received from reserve forest and civil soam land during hill side cutting.		
(i)	Reserve Forest Land (1x125X13.50X1.50)	2531.25	cum
	(1X175X9.00X1.00)	1575.00	cum
	(1X50X9.00X0.50)	225.00	cum
	(1X75X9.00X0.50)	337.50	cum
	1X200X11X1.00	2200.00	Cum
	1X600X13.50X8.00	64800	
	Total:-	71668.75	Cum
(ii)	Add 25% swell factor	17917.19	Cum
	G. Total:-	89585.94	Cum

DISPOSAL AND USE OF MATERIAL

	Total Cutting Used as filling material		
	Ch 18/150 to 18/500 (1X350X14X2)	9800.00	Cum
	Ch 18/650 to 19/00 (1X350X14X2)	9800.00	Cum
	Ch 20/400 to 20/575 (1X175X13.50X1.80)	4252.50	Cum
	Ch 20/700 to 20/900 (1X200X13X2)	5200.00	Cum
	Ch 21/025 to 21/200 (1X75X13.5X1.5)	1518.75	cum
	Ch 21/375 to 21/675 (1X300X14X2.50)	10500.00	Cum
	Ch 22/075 to 22/125 (1X50X13.5X1.0)	675.00	cum
	Ch 22/975 to 23/025 (1X50X12.75X0.75)	478.12	cum
	Ch 23/300 to 23/700 (1X400X16X7.40)	47361.60	Cum
	Total	89585.94	
	Total Used of material	89585.94	Cum
	Material disposal by cartage in dumping yard	Nil	

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि.उपखण्ड, बिछीवाड़ा

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

107 165

Annexure-II

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S No.	Total dabries	Material disposal by cartage	Re-used material forroad Construction	Total disposal in dumping Zone	Balance dabries.
1	89585.94 Cum	Nil	89585.94Cum	Nil	Nil

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि.उपखण्ड,बिछीवाड़ा

P.W.D.

उप वन संरक्षक
डूंगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

1-NAME OF WORK :- Upgradation Strengthening & Widening Work of Thana Mewara (Himmatpur) upto Gujrat State Border km. 14/500 to 24/800. Muck disposal annexure-I

2- DETAILS OF MUCK DISPOSA; YARDS WITH LAND OWNERS, ANNEXURE-II

सहायक अभियन्ता
नि.वि.उपखण्ड, बिछीवाड़ा

Executive Engineer
P. W. D. Division, Dungarpur

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

MUCK DISPOSAL PLAN

NAME OF WORK	:	Upgradation Strengthening & Widening Work of Thana Mewara (Himmatpur) upto Gujrat State Border km. 14/500 to 24/800.
ROAD LENGTH	:	9.50 KM.
BLOCK	:	BICHHIWARA
DISTRICT	:	DUNGARPUR
STATE	:	RAJASTHAN

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड, बिछीवाड़ा

Executive Engineer
P. W. D. Division, Dungarpur

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

164/110

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर (राज.)

क्रमांकः—

दिनांकः—

—: वचनबद्धता :—

थाना मेवाडा हिम्मतपुर से गुजरात राज्य की सीमा तक किमी. 14/500 से 24/800 तक सडक अपग्रेडेशन एवं चौडाईकरण कार्य पूर्ण होने के बाद सडक के दोनो तरफ वृक्षारोपण विभाग द्वारा स्वंय के व्यय से वन विभाग की निगरानी में कर दिया जायेगा।

(रोशनलाल खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि. खण्ड डूंगरपुर (राज.)

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर (राज.)

—: वचनबद्धता :—

प्रयोक्ता अभिकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशो की पालना की जायेगी।

उप वन संरक्षक
डूँगरपुर (राज.)

अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि. खण्ड डूंगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

FORM-1

(For Linear Project)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DUNGARPUR (RAJ.)

Dated : 10 Oct, 2016

No. Rev./2016/ 3992

REVISED TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 8.32 hectare and 4.208 hectare Total 12.528 hectare of Forest land proposed to be diverted in favor of Forest Department Dungarpur is being diverted in lieu of use of 8.32 hectare and 4.208 hectare Total 12.528 hectare of forest land in up gradation work from Thana Mewara to Gujrat Border (in two lane) in District Dungarpur. This 8.32 hectare and 4.208 hectare Total 12.528 hectare of land fall in villages Ramsagara, Jalu Kunwa, Vad, Bharatpur and un- surveyed forest area within jurisdiction of Bichhiwara Tehsil.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.32 hectare and 4.208 hectare Total 12.528 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agriculture communities.

Inc. - Gramesabha Samiti,
Sub Divisonal Samiti,
and Distt. level Samiti

(Surender Kumar Solanki)
District Collector
Dungarpur (Raj.)

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)

क्रमांकः–राजस्व / व.भू.प्र. / 2016 /

दिनांकः– .09.2016
10-10-2016

– बैठक कार्यवाही विवरण –

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 1808 दिनांक 29.09.2016 की कार्यवाही से सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर द्वारा थाना मेवाडा सड़क अप–टू गुजरात सीमा तक चौड़ाई बढाने व सुदृढ़ीकरण बाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा घोषित सड़क का निर्माण कार्य में 15 से 25 कि.मी. तक वन क्षेत्र में सड़क निकासी होने से आज जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस कार्यालय द्वारा वन विभाग की भूमि सड़क निर्माण में अधिग्रहीत होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की गई हैं। कुल 12.528 हैक्टर वन भूमि प्राप्ती के बदले ग्राम बलवाडा में कुल 12.528 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई है। उक्त सड़क निर्माण में प्रभावित वन भूमि 12.528 हैक्टर में क्रमशः राजस्व ग्राम रामसागड़ा, जालूकुआं, वेड व भरतपुर में अवस्थित हैं, जिसके प्राप्त ग्रामसभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के प्रस्ताव अनुसार ग्राम परिधी या अधिकार क्षेत्र में कुल 12.528 हैक्टर भूमि सर्वेड / अनसर्वेड भूमि पर ग्रामसभा / उपखण्ड स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत / सामुदायिक वनाधिकार का दावा स्वीकृत नहीं किया गया हैं तथा न हीं प्रस्तावित सड़क निर्माण सीमा के अन्तर्गत विचाराधीन हैं। ग्रामसभा समिति व उपखण्ड स्तरीय समिति में प्रभावित वन भूमि में वनाधिकार व्यक्तिगत / सामुदायिक दावा स्वीकृत तथा विचाराधीन नहीं होने से जिला स्तरीय समिति में ऐसे मामले स्वीकृत एवं विचाराधीन नहीं हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सर्वेड भूमि	अनसर्वेड भूमि	वन अधिकार पत्र जारी या दावा स्वीकृत या विचाराधीन हो	विशेष विवरण ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्रामसभा की तारीख
1.	थाना मेवाडा सडक अप–टू गुजरात सीमा तक सुदृढ़ीकरण व चौडाई का कार्य	15 कि.मी.	रामसागडा	धमलातफला	0.13 है0	0	नहीं	20.02.2015
2.	—"—	16, 17, 18, 19 कि.मी.	जालूकुआं	जालुकूआं	2.70 है0	3.55 है0	नहीं	20.02.2015
3.	—"—	20,21,22 कि.मी.	वेड	महिपालपुरा	0.91 है0	2.72 है0	नहीं	20.02.2015
4.	—"—	23,24,25 कि.मी.	भरतपुर	मेवाडा	0.10 है0	2.50 है0	नहीं	23.02.2015
				योग	3.828 है0	8.700 है0		

श्रीमति रतनदेवी भराडा
(सदस्य)

श्री दिलीप कलासुआ
(सदस्य)

श्री देवीलाल अहारी
(सदस्य)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उपवन संरक्षक,
डूंगरपुर

परियोजना अधिकारी,
टी.ए.डी. डूंगरपुर

जिला कलक्टर
जिला–डूंगरपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा जिला डूँगरपुर

क्रमांक–वनाधिकार / राजस्व / 2016 / 2136-41 दिनांकः–29.09.2016

आदेश

थाणा से मेवाडा अपदु गुजरात सीमा टुलेन सडक हेतु प्रस्तावित वन विभाग की भूमि के प्रत्यार्वतन सडक परिधि में आने वाली वन भूमि हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्यो की बैठक दिनांक 29.09.2016 को रखी गई है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य निम्नानुसार है

क्रं.स	नाम अधिकारी / जनप्रतिनिधि	विभाग	वि0 वि0
1	उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड कार्यालय बिछीवाडा	अध्यक्ष
2	विकास अधिकारी	पं0 सं0 बिछीवाडा	सदस्य सचिव
3	श्रीमति प्रिंयका भगोरा	पं0 स0 स0 ~~सचिया~~ मालमाथा	सदस्य
4	श्री पूजीलाल बरंडा	पं0 स0 स0 धमलात फला	सदस्य
5	श्री पुन्मचन्द भगोरा	प0 स0 स0 भेहणा	सदस्य
6	क्षेत्रीय वन अधिकारी	वन विभाग ~~बिछीवाडा~~ डूँगरपुर	सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

क्रमांक–वनाधिकार / राजस्व / 2016 / 2136-41 दिनांकः–29.09.2016

1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय डूँगरपुर।
2 उप वन संरक्षक डूँगरपुर।
3 विकास अधिकारी पं0 स0 बिछीवाडा (सदस्य सचिव)।
4 क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज बिछीवाडा। मालमाथा
5 सर्व श्रीमति प्रिंयका भगोरा पं0 स0 स0 संचिया / श्री पूजीलाल बरंडा पं0 स0 स0 धमलात फला / श्री पुन्मचन्द भगोरा पं0 स0 स0 भैहणा ।

प0 स0 सदस्य धमलात फला

विकास अधिकारी
पं.स. बिछीवाडा
कोड नं. 2007

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

प0 स0 भैहणा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डूंगरपुर (राज.)

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर के पत्र संख्या 3151–53 दिनांक 28.07.2016 एवं 874–77 दिनांक 24.03.2015 एवं तहसील कार्यालय बिछीवाडा के पत्र संख्या 417–18 दिनांक 31.03.2015 एवं 1521 दिनांक 26.09.2016 की कार्यवाही में सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर द्वारा थाना मेवडा सडक अपटु गुजरात सीमा तक चौडाई बढाने व सुद्धडीकरण बाबत् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सडक का निर्माण कार्य में किमी. 15 से 25 तक वन क्षैत्र मे से सडक निकासी होने से आज उपखण्ड स्तर पर बैठक की गई।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा वन विभाग की भूमि सडक निर्माण में अधिग्रहित होने से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवही की गई है। एवं कुल 12.528 हैक्टर वन भूमि प्राप्ती के बदले गांव बलवाडा में कुल 12.528 हैक्टर भूमि आंवटन की गई है। उक्त सडक निर्माण में आवाप्त भूमि 12.528 हैक्टर में क्रमशः राजस्व गांव रामसागडा, जालुकुंआ, वेड व भरतपुर अवस्थित है। जिसके द्वारा प्राप्त ग्राम सभा प्रस्ताव अनुसार परिधि या अधिकार क्षैत्र में कुल 12.528 हैक्टर भूमि अनसर्वेड भूमि पर इस उपखण्ड स्तरपर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 एवं अधिनियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत/सामुदायिक वनाधिकार का दावा स्वीकृत या विचाराधीन प्रस्तावित सडक निर्माण सीमा में विवरण अनुसार नहीं है।

क्र.स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व गावं का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सर्वेड भूमि	अनसर्वेड भूमि	वन अधिकार पत्र जारी या दावा स्वीकृत या विचाराधीन हो	विशेष विवरण ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की तारीख
1.	थाना मेवाडा सडक अपटु गुजरात् सीमा तक सुद्दुडीकरण व चौडाई	किमी. 15	रामसागडा	धमलातफला	0.13 है.	0	नहीं	20.02.2015
	............,..........	किमी. 16, 17, 18,19	जालुकुआं	जालुकंआं	2.70 है.	3.55 है.	नहीं	20.02.2015
	............,..........	किमी. 20,21,22	वेड	महिपालपुरा	0.91 है	2.72 है.	नहीं	20.02.2015
	............,..........	किमी. 23,24,25	भरतपुर	मैवाडा	0.10 है.	2.50 है.	नहीं	23.02.2015
				योगः–	3.828	8.700		

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

30/7/16
प.स. धमलातफला

विकास अधिकारी
पं.स. बिछीवाड़ा

क्षैत्रीय वन अधिकारी
डूंगरपुर (द.)

फंड, सक्र[illegible] ना कोई आसान काम नहीं कि ऐसे अनुभवी निवेशक मार्केट ट्रेंड के शिकार हो तिम उद्देश्य से चूक गए हैं। समझे जल्दबाजी में लिए गए टर्न को गंभीर रूप से प्रभावित दि आप पिछले कुछ महीनों की दशा पर सक्रिय रूप से रहे हैं, तो आपने भारत में

[illegible] मिड और स्मॉल कैप फंडों के रिटर्न से प्रभावित होकर, जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बदलने के लिए भाग रहे हैं, उन्हें लार्ज कैप फंडों के महत्व पर विचार करने के लिए पलभर का समय देना होगा। जिनेश गोपानी हैड

[illegible] अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता, समयसीमा, निवेशकोष आदि होते हैं। किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण उसमें निवेश करने के जोखिमों और लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसान वर्गीकरण के लिए सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड

हैं। संपूर्ण बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीन [illegible] लार्ज कैप फंड (जो पहला है, जिनमें वे निवे[illegible] कंपनियों में निवेश करते संपूर्ण बाजार पूंजीक[illegible] फंड जो 101वीं से 250[illegible] निवेश करते हैं, और [illegible] (जो 251वीं और उससे [illegible] अधिक की कंपनियों में निवेश करते हैं, और [illegible] निवेश करते हैं) होते हैं।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

[illegible] Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
[illegible] 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.)m env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

[illegible]/06/02/2017/एफ.सी./582 — दिनांक: 22-3-17

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/RJ/Road/9317/2015

[illegible] 0.00 किमी से 32.00 किमी. सड़क के [illegible] मेवाड़ा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी. सड़क के किमी. 14/500 से 24/800 तक आरोहेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन [illegible] प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक- एफ14( )2015/[illegible]/प्रमुवसं/701, दिनांक-06.03.2017

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाइन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा [illegible] वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है। [illegible] को दिनांक- 15.02.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल [illegible]। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त (मूल सत्यापित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र उपलब्ध [illegible] के साथ) स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं [illegible], राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

[illegible] में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार थाना मेवाड़ा [illegible] से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी. सड़क के किमी. 14/500 से 24/800 [illegible] एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1414 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक [illegible] निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

[illegible] भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[illegible] प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 12.528 [illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में [illegible] क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित [illegible] यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

[illegible] वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा [illegible] भूमि का हस्तान्तरण एवं [illegible] इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। [illegible] द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

[illegible] करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत [illegible] संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत [illegible] दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

[illegible] ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित [illegible] सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत [illegible] पर विचार किया जाएगा।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि [illegible] होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

[illegible] स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर [illegible] जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक [illegible] जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword beaning एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शाई जाएगी।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या- 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय [illegible] वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

8 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते।

भवदीय
(यृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

DIPR/C/12491/21/Udaipur

15[illegible] भीम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर- 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in, दूरभाष नं. 0141-2722520

दिनांक : 09.12.2021

क्रमांक: प.8(69)RSSB/प.आ./संगणक सी.भ.प./2021/1168

विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2019 क्रमांक 943 दिनांक 03.09.2021 के द्वारा संगणक सीधी भर्ती -2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गये थे, तथा इस संगणक सीधी भर्ती परीक्षा - 2021 के आयोजन की तिथि 19.12.2021 नियत कर दिनांक 28.09.2021 को प्रेस नोट एवं 18.11.2021 परीक्षा कार्यक्रम उल्लेखित कर विज्ञप्ति जारी की गई।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा - 2021 का आयोजन दिनांक 19.12.2021 (रविवार) को (10:00 A.M. to 12:00 Noon) राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन किया जायेगा।

अतः उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि :-

1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
2. **दिनांक 19.12.2021 को आयोजित होने वाली "संगणक सीधी भर्ती परीक्षा - 2021" के अभ्यर्थी "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांक 13.12.2021 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।**
3. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे / बहकावे में नहीं आवें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
4. रेल / बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपको परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
5. **अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय के 1 ½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थित दे देवें ताकि** तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. **कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें।**
7. **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
8. **परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मध्यनजर अभ्यर्थियों के हैण्ड सेनेटाईजर/ वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें।**
9. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान - पत्र यथा- मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक, उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm x 2.5cm साईज के नवीनतम एक रंगीन फोटो एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
10. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
11. ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस के तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. **परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है तथा कोरोना (कोविड-19) के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना भी अनिवार्य है।** ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
13. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र / उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जावेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
14. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
15. **परीक्षाओं के संबन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाये।**

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajsthan.gov.in** का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(पुष्कर राज शर्मा)
सचिव

DIPR/C/12559/2021/ A/E

[illegible] की कंपनियों में [illegible] निवेश करते हैं) होते हैं।
भीम
जयपुर
- 302018
2722520
दिनांक : 09.12.2021
www.rsmssb.rajsthan.gov.in
(पुष्कर राज शर्मा)
सचिव

Scanned with CamScanner

ms into truck

pur. The victims were rushed to a nearby hospital where doctors declared them dead on arrival, the police said. "They were the residents of Sardarshahar in Churu district. The impact of the collision was so high that the car turned into a mangled heap of steel, informed the cops.

SHAP

arma & RK Puram ar-old urned after Bhiwadi.

ere travelling from Jodh-

स्वास्थ्य) एवं अध्यक्ष स्टेट प्रोग्राम कमेटी (अंधता), ...त्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

...िर्माण/2021-22/478 Date : 06.12.2021

NOTICE INVITING BID

...for Pressbyopic Glasses with frame State of Rajasthan ...d from interested bidders up to 06.00 PM (20.12.2021). ...rticulars of the bid may be visited on the procurement portal ...proc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the State, ... and http://www.rajswasthya.nic.in departmental website.

...o. MHS2122GLOB03140

Director (PH) & Chairman
Stae Programme Committee (Blindness)
Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur

...C/12495/2021

Government of Rajasthan
Office of Project Director
Rajasthan Urban Infrastructure Development Project
AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Tel No.: 0141-2721966, Fax No.: 0141-2721919
Email: mail.ruidp@rajasthan.gov.in; web site: www.ruidp.rajasthan.gov.in

Invitation for Bids No: RUIDP/OCB/FSTP-STP/01

...al Self Government Department, Government of Rajasthan invites online ...onditional bid through e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in for ...following works (Design, Build, Operate & Maintenance) from eligible enlisted ...ntractor

Cluster/ Package No	Name of Package and details of works	Dead line for receipt of bids
RUIDP/FSTP-STP/RAWAT BHATA/01	RUIDP/FSTP-STP/RAWATBHATA/01:- Cluster package of 3 towns in 3 Lots: Lot-1: "Design, Supply, Construction, Testing, Trial run and commissioning of SPS & STP including Faecal Sludge Septage Management (FSSM) with 5 years operation and maintenance at Rawatbhata (Chittorgarh), Rajasthan including supply, testing of vehical mounted suction machine for faecal sludge desludging." (RUIDP/STP/RBT/01). Lot-2: "Design, Supply, Construction, Testing, Trial run and commissioning of FSTP with 5 years operation and maintenance at Itawa (Kota), Rajasthan including supply, testing of vehical mounted suction machine for feacal sludge desludging" (RUIDP/FSTP/ITW/01). Lot-3: "Design, Supply, Construction, Testing, Trial run and commissioning of FSTP with 5 years operation and maintenance at Sultanpur (Kota), Rajasthan including supply, testing of vehical mounted suction machine for feacal sludge desludging" (RUIDP/FSTP/STP/01).	Up to 18:00 hours on 10th January, 2022

1. Bid document for downloading would be available at e proc website www.eproc.rajasthan.gov.in starting from 7th December, 2021. Deadline for bid submission is as shown as in the Table above.
2. Pre-bid Meeting for all the work packages will be held at 15:00 hours on 16th December, 2021. All the prospective bidders are advised to participate in the Pre-bid meeting.
3. Any addendum, clarification to the bidder's queries and corrigendum etc. will be published on the e-proc web sites and will not be published in Newspapers.
4. Bidders may contact Additional Project Director, RUIDP (0141-2548404), Jaipur for any information on bidding process.

NIB Code : UID2122A0020
UBN Code : UID2122WLOB00019
Raj Samwad/C/21/...

Project Director, RUIDP

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-220024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024
Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/02/2017/एफ.सी./582 दिनांक : 22/3/17

सेवा में
प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/RJ/Road/9317/2015

विषय : थाना मेवाड़ा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी. सड़क के किमी. 14/ 500 से 24/800 तक के अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ : अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक- एफ14( )2015/एफसीए/ प्रमुवसं/ 701, दिनांक 06.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित आनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण को दिनांक - 15.02.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त (मूल सत्यापित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की शर्त के साथ) स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार थाना मेवाड़ा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 0.00 किमी से 32.00 किमी. सड़क के किमी. 14/500 से 24/800 तक अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण हेतु 12.528 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1414 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित पर शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 12.528 हे. पर. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
   उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/ संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा,नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
   इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्‌वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक- 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,
ब्रजेन्द्र स्वरूप
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

DIPR/C/12491/2021

Scanned with CamScanner